

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छत्तीसगढ़)

☎ : (0771) 2523769, 2888509, Fax :- 2886152 - E-mail- cfrpr@rediffmail.com

क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./5449

रायपुर, दिनांक 19/8/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध/व.सं.अ)

अटल नगर, रायपुर(छ.ग.)

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Construction of high level bridge across Kajal River on Janwarra road area-1.701 ha.- Regarding

आनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OTHER/25789/2017 दिनांक 9.11.2017

संदर्भ:- वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी का पत्र क्रमांक/मा.चि/जी/ 2872 धमतरी दिनांक 25.06.2020.

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार वन मंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख		
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग(आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन) रायपुर (छ0ग0) ने धमतरी जिले के धमतरी वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि पर जबर्रा-नगरी मार्ग में काजल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कुल रकबा 1.701 हे0 हेतु फार्म "क" पर मांग किया है, जिसका निरीक्षण वनमण्डल अधिकारी द्वारा किया जा कर फार्म "ख" पर अनुशंसा की गई है। यह अनुशंसा वनमण्डलाधिकारी के स्थल निरीक्षण दिनांक 19/05/2020 के आधार पर की गई है। (पृष्ठ क्रं. 1 - 12) में संलग्न हैं।	1-12
2.	प्रपत्र 01 में रजिस्ट्रेशन क्रोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)- प्रस्ताव का अनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OTHER/25789/2017 दिनांक 09/11/2017 आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल 24000/- जमा कर दिया गया है।	13
3.	वन क्षेत्र विवरण:- आवेदित रकबा 1.701 हे0 वन क्षेत्र का विवरण संलग्न।	14
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि तथा निजी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	15

01C

5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:— प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16
6.	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप:— वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप तथा एफ.एम.आई.एस. द्वारा जारी वन आवरण मानचित्र संलग्न।	17—18
7.	प्रपत्र—4 में प्रस्ताव:— प्रपत्र—4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 925 करोड़ 45 लाख रु है। आवेदक संस्थान ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया है कि वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है।	19—26
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:— प्रस्ताव में प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है।	27
9.	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र — वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र संलग्न किया गया है।	28
10.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाणपत्र — उपयोगिता प्रमाणपत्र संलग्न हैं।	29
11.	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र — परिपत्र संलग्न हैं।	30 -32
12.	वृक्ष विदोहन विवरण(प्रपत्र —अ एवं ब में) — प्रपत्र —अ एवं ब संलग्न हैं।	33
13.	कास्ट/ बेनिफिट एनालिसिस — प्रस्तावित क्षेत्र का रकबा 1.701 हे0 होने के कारण काष्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	34
14.	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर आदेश) राजस्व वन क्षेत्र — Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dated 16 June 2011 के अनुसार जबर्रा—नगरी मार्ग के काजल नदी पर पुल निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की बाध्यता नहीं होगी। Ministry of Environment and Forest (FC Divison) letter no. F.No. 11-9/98-FC Dated 17 May 2013 के अनुसार छ0ग0 राज्य का धमतरी जिला नक्सल प्रभावित जिले की सूची में शामिल है। Not A pplicable.....	35
15.	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा — कंडिका 14 के अनुसार	36
16.	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना — कंडिका 14 के अनुसार	37-42
17.	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र — कंडिका 14 के अनुसार	43
18.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण — इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	44
19.	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण — इस परियोजना अंतर्गत किसी भी प्रकार से अधिनियम उल्लंघन	45

	नहीं किया गया है।	
20.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही - इस परियोजना अंतर्गत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अधिनियम उल्लंघन नहीं किया गया है।	46
21.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र - मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	47
22.	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान - कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान आवश्यकता नहीं है।	48
23.	रिक्लेमेशन प्लान - रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	49
24.	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) - खनन प्रकरण से संबंधित नहीं है।	50
25.	व्यवस्थापन प्लान - प्रकरण में कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	51
26.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- प्रपत्र-3 (प्रस्ताव पृष्ठ 52-58) पर वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन है जिसके अनुसार साईट क्वालिटी III तथा वनों का घनत्व 0.4 है। वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई है।	52-58
27.	ऐतिहासिक प्रमाणपत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।	59
28.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाणपत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	60-61
29.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- 212554.00 हे०। जिले की कुल वन भूमि रकबा संलग्न है।	62
30.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- पृष्ठ क्रमांक 63 में संलग्न है।	63
31.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- इस Catagory में कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं है।	64

32.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह नहीं है।	65
33.	15 किमी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में) – यह प्रकरण खनन से संबंधित नहीं है।	66
34.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा),। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित नहीं किया गया है, तथा कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	67-73
35.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्तावित भूमि में राजस्व भूमि सम्मिलित नहीं है तथा कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	74-75
36.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – आवेदक संस्था ने प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र दिया है तथा प्रत्याशा मूल्य गणना पत्रक संलग्न है।	76-78
37.	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance. (भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र. 7-1/2004 (CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12.05.2011 . प्रपत्र संलग्न है।	79
38.	"detailed note on soil Productivity or the lack of it".(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6.MPC 013/2008-BHO/357 3068 दिनांक 24.02.2010) – प्रस्तावित भूमि उपजाऊ नहीं है।	80
39.	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 2.1/2003-FC दिनांक 06.01.2011) – प्रस्तावित स्थल में कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।	81
40.	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (Conservation) Act 1980-Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार ,	82

	पर्यावरण वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 11-9/1998-FC दिनांक 04.02.2011) — प्रस्तावित स्थल 500 हे० से कम तथा आबादी विहीन है, कोई व्यक्ति इस प्रकरण में प्रभावित नहीं है अतः रोजगार या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।	
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख	
41.	पंजीयन क्रमांक — पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009 — आवेदक संस्था द्वारा पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 24000/- जमा कर दिया गया है।	83
42.	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में) — प्रकरण खनन से संबंधित नहीं है।	84
43.	विद्युत लाईन से संबंधित प्ररणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र क्रमांक 6.CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010) — प्रकरण विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है	85
44.	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कर्मियों का विवरण— फार्म-ए का पार्ट-1 (आवेदक संस्थान) पार्ट 2 (वनमंडलाधिकारी) एवं आनलाईन टाईम लाईन की 1-1 प्रति में संलग्न हैं।	87-95

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबंध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

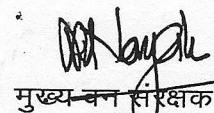
उपरोक्त प्रकरण अनुशंसा सहित आपकी ओर तीन प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्न:- प्रस्ताव तीन प्रतियों में ।

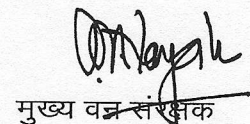
आवेदित स्थल का DGPS सर्वेक्षण रिपोर्ट
03 प्रतियों में

पृ.क्रमांक/तक.शा./एफ.सी.ए./ 5450

प्रतिलिपि :- 1. वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल धमतरी को संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग (आकाशवाणी के पीछे सिरपुर भवन) रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 19/8/2020


मुख्य वन संरक्षक

रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है।
(हाँ/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

.....
.....
.....
.....
.....
.....

15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

.....
.....
.....
.....
.....

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

.....
.....
.....
.....

दिनांक :-

स्थान :- रायपुर

Handwritten signature
18/8
हस्ताक्षर
नाम
मुख्य वन संरक्षक
रायपुर, रायपुर (छ.प्र.)